बिहार सरकार - शिक्षा विभाग

संविधान दिवस 2026: विद्यालयों के लिए कार्ययोजना

26 नवंबर 2026 के लिए सभी सरकारी विद्यालयों हेतु अनिवार्य दिशा-निर्देश

https://teachersofbihar.org/

संविधान एक ‘जीवित धरोहर’ है जो समाज को दिशा देती है

“संविधान एक जीवित धरोहर है... जिसके रहने से हमारे समाज में समरसता, संवाद एवं समृद्धि की राह प्रशस्त होती है। यह लाजमी है कि संविधान के निर्माण को एक पर्व की तरह मनाया जाए।”

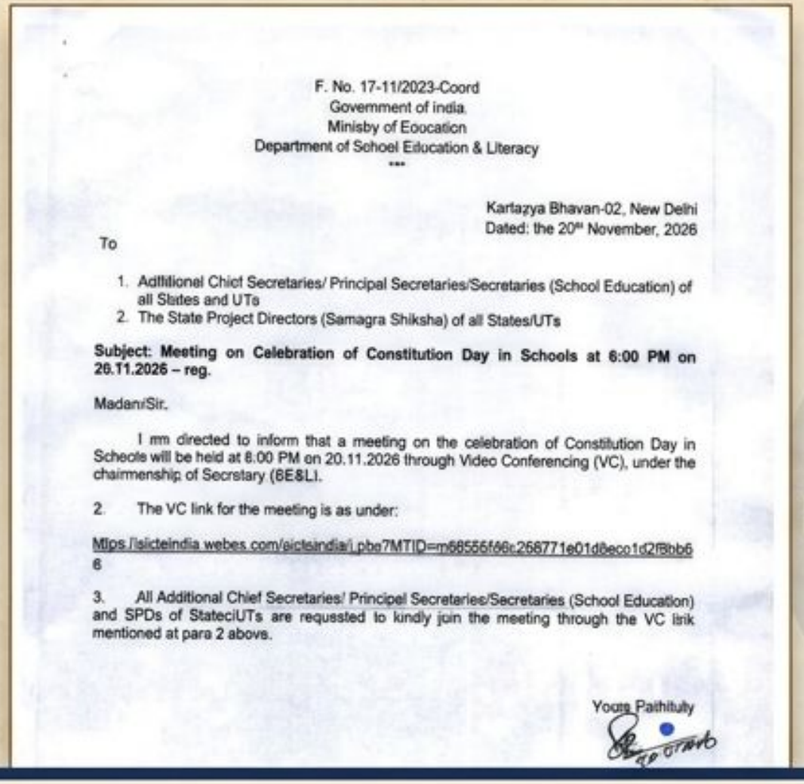
(पत्रांक-251 के अनुसार)



26 नवंबर 1949 को Constituent Assembly Drafting समिति द्वारा संविधान Adopt किया गया, जिसे हम 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।

https://teachersofbihar.org/

राष्ट्रीय संकल्प से लेकर विद्यालय के प्रांगण तक का स्पष्ट निर्देश



F. No. 17-11/2023-Coord
Government of India
Minisby of Eoocation
Department of Schoel Education & Literacy

Kartazya Bhavan-02, New Delhi
Dated: the 20th November, 2026

To

1. Adtitional Chiot Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries (School Educatiocn) of all Stotes and UTs
2. The State Project Directors (Samagra Shiksha) of all States/UTs

Subject: Meeting on Celebration of Constitution Day in Schools at 6:00 PM on 26.11.2026 – reg.

Madam/Sir,

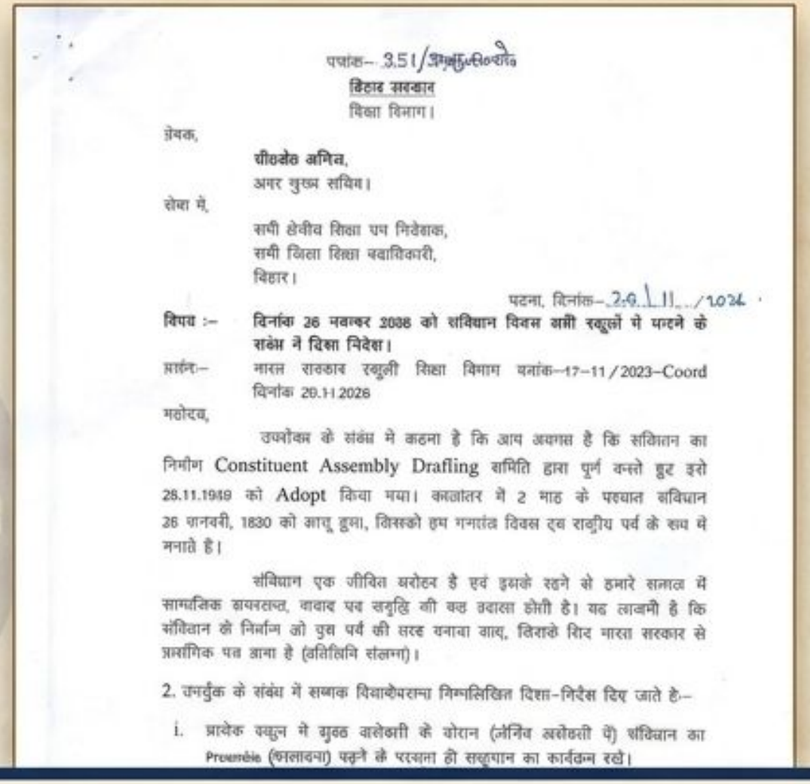
I am directed to inform that a meeting on the celebration of Constitution Day in Schools will be held at 6.00 PM on 20.11.2026 through Video Conferencing (VC), under the chairmenship of Secrstary (SE&L).

2. The VC link for the meeting is as under:

Mtps://slcteindia webes.com/aictsaindia/j.pbe?MTID=m68556f66c256771e01d8eco1d2f8bb66

3. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries (School Education) and SPDs of StateciUTs are requssted to kindly join the meeting through the VC linik mentioned at para 2 abovs.

Yours Paithituly



पत्रांक– 351/प्रमुसिव्यो
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

रीतवेश अग्निव,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 20/11/2026

विषय :– दिनांक 26 नवम्बर 2026 को संविधान दिवस अभी स्कूलों में मनाने के संबंध में दिशा निदेश।

संदर्भ:– भारत सरकार स्कूली शिक्षा विभाग पत्रांक–17–11/2023–Coord दिनांक 20.11.2026

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में कहना है कि आप अवगत है कि संविधान का निर्माण Constituent Assembly Drafling समिति द्वारा पूर्ण रूप से हुए इसे 28.11.1949 को Adopt किया गया। कालांतर में 2 माह के पश्चात संविधान 26 जनवरी, 1830 को लागू हुआ, जिसको हम गणतंत्र दिवस एवं राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते है।

संविधान एक जीवित दस्तावेज है एवं इसके रहने से हमारे समाज में सामाजिक सामरसता, भाईचारा एवं खुशहाली की वजह उदासा होगी है। यह जानकारी है कि संविधान के निर्माण को पुरे पर्व की सरह मनाया जाए, जिसके लिए भारत सरकार से प्राप्तांगिक पत्र आया है (संलिलिनि संलग्न)।

2. उपर्युक्त के संबंध में सम्पाक निर्धारेभरान्ना निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिए जाते है:–

i. प्रत्येक स्कूल में सुबह प्रार्थना के दौरान (अनिवार्य प्रार्थना में) संविधान का Preamble (प्रस्तावना) पढ़ने के पश्चात ही सत्रारंभ का कार्यक्रम रखें।

भारत सरकार का निर्देश (20.11.2026)

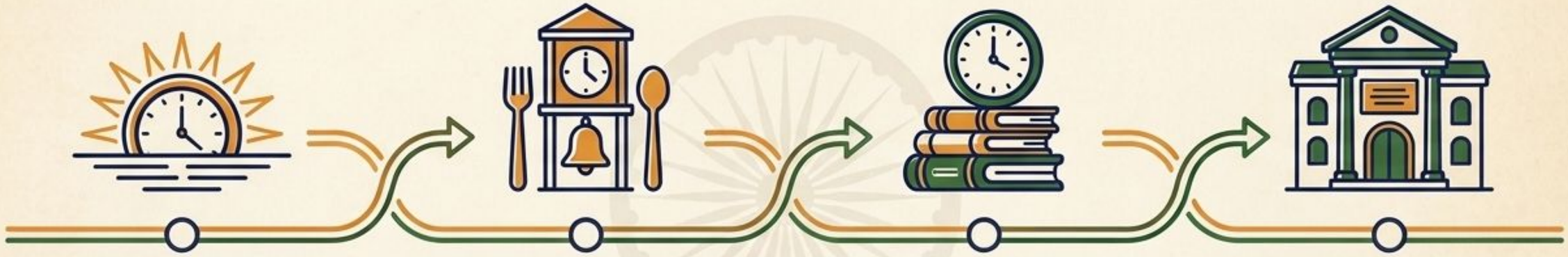
➡ राष्ट्रीय स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा तय की गई रूपरेखा।

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार का आदेश (पत्रांक-251)

➡ अपर मुख्य सचिव द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों के लिए जारी अनिवार्य दिशा-निर्देश।

https://teachersofbihar.org/

26 नवंबर 2026: विद्यालय के लिए संपूर्ण दिन की कार्ययोजना



सुबह की असेंबली

प्रस्तावना का पाठ एवं छात्र-वक्तव्य

मध्याह्न भोजन के बाद

रचनात्मक कला प्रतियोगिताएं

लाइब्रेरी पीरियड

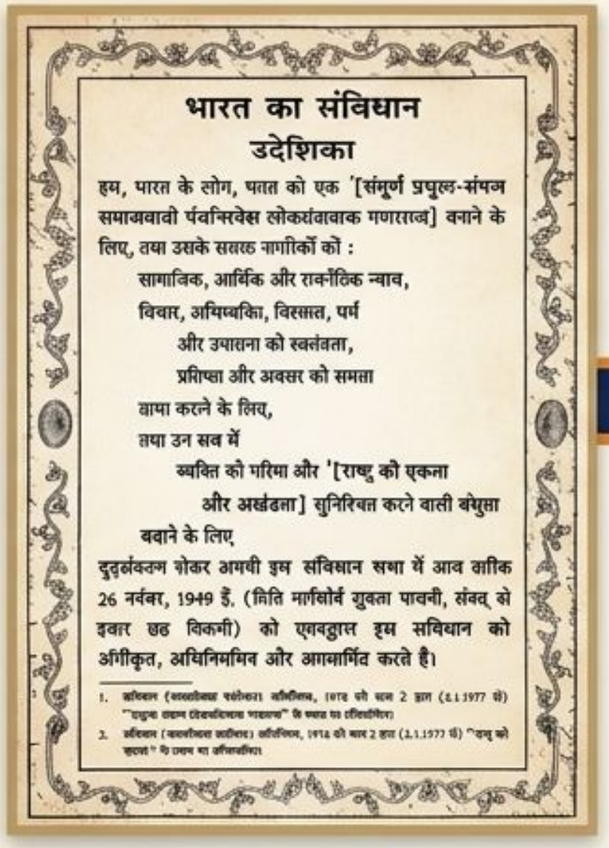
संविधान के मूल सिद्धांतों पर क्विज

स्थायी व्यवस्था

प्रधानाध्यापक कक्ष में प्रस्तावना की स्थापना

https://teachersofbihar.org/

सुबह की असेंबली: प्रस्तावना पाठ से शुरुआत और राष्ट्रगान से समापन



भारत का संविधान

उदेशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक '[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त करने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और '[राष्ट्र की एकता

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर अंतःस्थापित।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **'[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the '[unity and integrity of the Nation]:

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec. 2, for "Sovereign Democratic Republic" (3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec. 2, for "Unity of the Nation" (3.1.1977)



⚠

सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य रूप से Preamble (प्रस्तावना) का पाठ किया जाएगा।

Instructional

क्रम का ध्यान रखें:
प्रस्तावना पढ़ने के पश्चात ही राष्ट्रगान का कार्यक्रम आयोजित करें।

https://teachersofbihar.org/

छात्र–वक्तव्य: संविधान निर्माताओं के योगदान पर चर्चा



प्रतिभागी नियम

1 बालिका + 1 बालक
(वरीय छात्र जो अच्छे वक्ता हों)

समय सीमा

5-5 मिनट का वक्तव्य

विषय

संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर एवं डॉ. राजेंद्र प्रसाद (चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी) के बारे में जानकारी साझा करना।

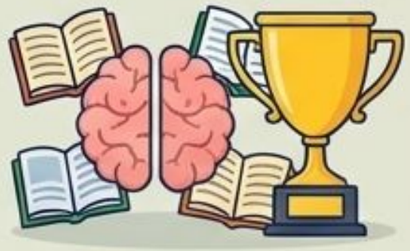
https://teachersofbihar.org/

कक्षा एवं लाइब्रेरी गतिविधियां: कला और ज्ञान का संगम



कला और रचनात्मकता

समय	मध्याह्न भोजन के बाद एक पीरियड
प्रतिभागी	सभी कक्षाएं
गतिविधि	पोस्टर, ड्राइंग, और कोलाज बनाने का कार्यक्रम



ज्ञान और मूल्यांकन

समय	लाइब्रेरी पीरियड
प्रतिभागी	इच्छुक छात्र
गतिविधि	संविधान के मूल सिद्धांतों पर Quiz
परिणाम	सबसे अच्छे छात्र को पुरस्कृत किया जाएगा

https://teachersofbihar.org/

नेतृत्व की जिम्मेदारी: प्रधानाध्यापक कक्ष में स्थायी स्थापना

संविधान के Preamble (प्रस्तावना) का एक बड़ा पोस्टर

सभी प्रधानाध्यापक अपने कमरे में महात्मा गांधी के फोटो के साथ लगाएंगे।

यह साल भर टंगा रहेगा। इसे संविधान दिवस के बाद उतारा नहीं जाएगा।



प्रधानाध्यापक अपने विवेक से संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु अन्य Innovative/Creative कार्य भी करा सकते हैं।

https://teachersofbihar.org/

प्रधानाध्यापक की अंतिम चेकलिस्ट: शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें

समय / चरण	अनिवार्य गतिविधि	प्रतिभागी	पूर्ण? (☐)
सुबह	Preamble (प्रस्तावना) का पाठ एवं राष्ट्रगान	सभी छात्र व शिक्षक	☐
सुबह	अंबेडकर/ राजेंद्र प्रसाद जी पर 5-5 मिनट का वक्तव्य	1 बालक, 1 बालिका	☐
दोपहर	पोस्टर / ड्राइंग / कोलाज निर्माण	सभी कक्षाएं	☐
लाइब्रेरी	संविधान के मूल सिद्धांतों पर क्विज एवं पुरस्कार	प्रतिभागी छात्र	☐
कार्यालय	गांधी जी की फोटो के साथ Preamble का स्थायी पोस्टर	प्रधानाध्यापक	☐

संविधान के महत्व एवं आम जीवन में उसका असर बच्चों एवं अभिभावकों को पता चल सके।
कृपया इसे अति आवश्यक समझें। - शिक्षा विभाग, बिहार।

https://teachersofbihar.org/